न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 53/2022 तारीखरजू:- 16/5/22

उनवान:– रधुवीर बनाम सरला

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
16/5/22	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान व गैरसायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए सायलान व गैरसायलान को दिनांक 10.06..2022 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी **ख0न0 34/0.58, 345/0.17, 355/0.05, 358/.022, 360/0.48, 575/0.52, 25/0.19, 26/0.70, 179/0.17/182/0.14, 183/0.14, 347/0.15, 354/0.23, 359/0.18 है0** ग्राम **भनकपुरा** तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.06.2022 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
19.5.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी सं० 10, 12, लगायत 16 के तलबी नोटिस पुनः पेश करने के लिए अन्तिम मौका दिया गया। वास्ते तलबी दिनांक 18/6/25 को पेश हो।
18.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी वकील को अप्रार्थी नं० 10, व 12 लगायत 16 के तलबी नोटिस पेश करने की हिदायत दी गई। वास्ते तलबी दिनांक 22/7/25 को पेश हो।
22/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी वकील को अप्रार्थी सं० 10 व 12 लगायत 16 के तलबी नोटिस पेश करने के लिए अन्तिम मौका दिया गया वास्ते तलबी दिनांक 3/9/25 को पेश हो।
3/9/25	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील कोई उपस्थित नहीं बाद 2 बजे तक इंतजार किया गया। इसके बावजूद भी वादी व वादी वकील कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र कार्यवाही किये जाने में प्रार्थी व प्रार्थी वकील की अरुचि प्रतीत होती है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर अभिलेखागार दाखिल हो।